UPET010037932018

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

जी0 एस 0 टी0 संख्या–19/2018

उ0प्र0 राज्य

–––––अभियोजन पक्ष

–बनाम–

1–मोहित यादव पुत्र नरेन्द्र यादव
निवासी–बाकलपुर, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा।
2–कृष्णा उर्फ कान्हा पुत्र प्रेम सिंह
निवासी–गली नं0 2 श्रंगार नगर, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा।

अपराध संख्या–652/2017
आरोप पत्र की धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–कोतवाली नगर, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
जी0 एस 0 टी0 संख्या	19/2018
अपराध संख्या	652/2017
धारा	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना	कोतवाली नगर
अभियुक्त	मोहित यादव एवं कृष्णा उर्फ कान्हा
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री रक्षपाल सिंह शाक्य,
विद्वान विशेष लोक अभियोजक प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री रामनरेश मिश्र, एडवोकेट श्री आलोक कुमार, तिवारी
घटना की तिथि	भिन्न–भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	18.05.2017
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या 108/2018, दिनांक 07.02.2018

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.03.09 14:03:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रसंज्ञान की तिथि	02.03.2018
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	19.09.2018
निर्णय की तिथि	09.03.2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

–निर्णय–

1– जी0 एस 0 टी0 संख्या–19/2018 राज्य बनाम मोहित यादव आदि, अ 0 सं0–652/2017, अन्तर्गत धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में अभियुक्तगण मोहित यादव एवं कृष्णा उर्फ कान्हा का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एस 0 एस 0 आई 0 जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर ने दिनांक 18.05.2017 को जुबानी सूचना थाना कोतवाली नगर, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की कि–

वह एस 0 एस 0 आई 0 जितेन्द्र सिंह मय हमराही कॉ0 751 राहुल कुमार, कॉ0 604 सूरजपाल मय वाहन सरकारी चालक कॉ0 विजयपाल के रवानाशुदा रफ्ता रपट रो0 आम इमरोजा से वाद देखरेख शान्ति जांच अहकामात व विवेचना मुकदमा मर्जुवात अन्दर इलाका से वापस आकर एक किता अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट दाखिल किया कि अभियुक्त मोहित यादव पुत्र नरेन्द्र यादव, निवासी बाकलपुर थाना निधौलीकलॉ, एटा हाल पता गुरूकुल के सामने मौहल्ला दान सहाय कोतवाली नगर जिला एटा उम्र 32 वर्ष व उसके साथी सोनू कुमार पुत्र श्री अमलेश यादव निवासी गली नं0 2 सिंधी कालौनी थाना कोतवाली नगर एटा उम्र करीब 30 वर्ष व कृष्णा उर्फ कान्हा पुत्र प्रेम सिंह बघेल निवासी गली नं0 2 श्रंगार नगर उम्र करीब 28 वर्ष का एक संगठित गिरोह है, जो अपने साथियों के साथ संगठित रूप से जैसे डकैती, पुलिस पर हमला, व सरकारी कर्मचारियों को दबाब में लेकर विधि विरुद्ध कार्य कारित कर अपने तथा अपने परिवारीजनों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए भा0 दं0 सं0 के अध्याय 16,17 व 18 में वर्णित अपराधों को कारित कर समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त रहते हैं। इनका यह कृत्य उ 0 प्र 0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 की धारा 2/3 की हद को पहुंचता है। इनका समाज में स्वछन्द रहना जनता के हित में नहीं है। अतः इनके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाने हेतु धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाती है, जिससे आम जनता में भय व आतंक का माहौल खत्म हो सके। इनके विरूद्ध थाना हाजा पर अ०सं०–624/2017, धारा 147, 148, 332, 353, 395, 427, 307, 412, 504, 452, 477, 324 भा०दं०सं० व अ०सं०–625/2017, धारा 332, 353, 336, 324, 427 भा०दं०सं० पंजीकृत है।

3– थाना कोतवाली नगर, एटा पर अ 0 सं0–624/2017 धारा 147,148, 332,353,395,427,307,412,504,452,477,324 भा0 दं0 सं0 बनाम मोहित यादव, सोनू कुमार एवं कृष्णा उर्फ कान्हा एवं अपराध संख्या–625/2017, धारा 332,353,336,324,427 भा0 दं0 सं0 बनाम मोहित यादव के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ 0 सं0–652/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम मोहित यादव, सोनू कुमार एवं कृष्णा उर्फ कान्हा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी

चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–02 दिनांक 18.05.2017 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी0 डी0 रपट नं0–33 प्रदर्श क–03 पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना के दौरान अभियुक्त सोनू उर्फ आशीष पुत्र अमलेश यादव को दिनांक 10–10–2017 को किशोर अपचारी घोषित किया गया, जिसका विचारण किशोर न्याय बोर्ड एटा द्वारा किया जा रहा है। विवेचना की तमामी कार्यवाही, बयान वादी, गवाहान व अन्य साक्ष्यों के आधार अभियुक्तगण मोहित यादव एवं कृष्णा उर्फ कान्हा के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदर्श क–04 प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–05, दिनांकित 07–02–2018 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर जिला जज कक्ष संख्या–04, एटा द्वारा दिनांक 02.03.2018 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण मोहित यादव एवं कृष्णा उर्फ कान्हा के विरूद्ध धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 19.09.2018 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्त द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– अभियेाजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 05 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01	उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह	वादी/शिकायतकर्ता
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–02	एच0 सी0 रसाल सिंह	तत्कालीन सी0 सी0
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03	सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह	विवेचक
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–04	बृहमानन्द शुक्ला	स्वतंत्र साक्षी
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–05	संजीव कुमार	स्वतंत्र साक्षी

7– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**

1	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–01	पी0 डब्लू0–01 वादी उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह
2	चिक एफ 0 आई 0 आर 0 अपराध संख्या 652/2017	प्रदर्श क–02	पी0 डब्लू0–01 वादी उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह
3	जी0 डी0 रपट नं0–33	प्रदर्श क–3	पी0 डब्लू0–02 एच 0 सी0 रसाल सिंह
4	अभियोग चलाये जाने हेतु अनुमति आदेश	प्रदर्श क–4	पी0 डब्लू0–03 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह
5	आरोप पत्र अपराध संख्या 108/2018	प्रदर्श क–5	पी0 डब्लू0–03 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह

8– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 17.04.2025 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01 के कथानक को गलत कार्यवाही करना बताया है। पी0 डब्लू0–02 के कथानक को उच्चाधिकारियों के दबाव में एण्टी टाइम एफ०आई०आर० दर्ज करना बताया है। अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03 के कथानक को गलत तरीके से विवेचना कर झूंठा आरोप पत्र लगाना बताया है। साक्षी पी0 डब्लू0–04 एवं साक्षी पी0 डब्लू0–5 के कथानक के विषय में कुछ नहीं कहने का कथन किया है। अभियोग को पुलिस ने पुराने मुकदमें तथा राजनैतिक दबाब के कारण चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।

9– अभियुक्तगण की ओर से सफाई/साक्ष्य में फेहरिस्त 57 ब/1 से अ०सं०–624/2017, धारा 147, 332, 353, 427, 307/149, 395, 412, 353, 477, 324, 504 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–52/2017 राज्य बनाम मोहित यादव आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 20–12–2017 कागज संख्या 57 ब/3 लगायत 57 ब/8 दाखिल किया गया है।

10– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) के तर्क सुने एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

12– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम **साक्षी पी0 डब्लू0–01 वादी उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.05.2017 को थाना कोतवाली नगर एटा पर बतौर वरिष्ठ/उपनिरीक्षक/प्रभारी कोतवाली तैनात रहे थे। उस दिन उसके द्वारा गैंगलीडर मोहित यादव, पुत्र नरेंद्र यादव निवासी बाकलपुर थाना निधौलीकलॉ हाल पता–गुरुकुल

के सामने मौहल्ला दान सहाय कोतवाली नगर एटा के विरुद्ध अ०सं०–624/2017 धारा 147,148,332,353,394,427,307,412,504,452,477,324 भा०दं०सं० व अ०सं० 625/2017 धारा 332,353,336,324,427 भा०दं०स० व सदस्य सोनू कुमार पुत्र अमलेश यादव निवासी गली नं० 2 सिंधी कालोनी व सदस्य कृष्णा उर्फ कान्हा पुत्र प्रेम सिंह बघेल निवासी श्रृंगार नगर एटा के विरुद्ध अ०सं० 624/2017 थाना कोतवाली नगर एटा पर दर्ज होने की वजह से व आरोप पत्र न्यायालय दिनांक 16.05.2017 को प्रेषित किये गये। तीनो मुल्जिमानो का एक संगठित गिरोह था। जो डकैती व पुलिस पर हमला व सरकारी कर्मचारियो को दवाब में लेकर, नियम विरुद्ध कार्य करते थे, जो अपने परिजनो व सदस्यो के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये, भा0 दं0 सं0 के अध्याय 16, 17, 18 में वर्णित अपराध कारित कर समाज विरोधी क्रिया कलाप मे लिप्त रहते थे। इनका समाज में भय व आतंक व्याप्त रहता था। इन लोगों के विरुद्ध जनता का व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता था, जिनका यह कृत्य उ० प्र० गिरोहबंध एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 की हद तक पहुंचता है, जिनको स्वतंत्र रहना जन हित मे नहीं था। इनके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाने हेतु, गैंगचार्ट उसके द्वारा तैयार किया गया जिसकी संस्तुति क्षेत्राधिकारी नगर व अपर पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा की गयी थी, जिसका अनुमोदन जिला मजिस्ट्रेट एटा द्वारा दिनांक 17.05.2017 को किया गया था जो गैंगचार्ट टाइप शुदा पत्रावली पर 6 अ संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर व पदनाम की मौहर लगी है। वह अपने हस्ताक्षर की पुष्टि कर रहा है। गैंगचार्ट पर प्रदर्श क–01 डाला गया। दिनांक 18.05.2017 को अनुमोदन व जांच के उपरांत गैंगचार्ट में वर्णित तथ्यों व सूचना जुबानी के आधार पर अपराध सं०–652/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम मोहित आदि 03 नफर की कायमी रपट सं० 33 समय 11:30 को सी०सी० रसाल सिंह द्वारा की गयी थी। उसके बाद सी०सी० सुनील कुमार द्वारा कम्प्यूटर पर चिक एफ 0 आई 0 आर 0 किता की गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जो चिक एफ 0 आई 0 आर 0 पत्रावली पर 4 अ के रुप में संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान दिनांक 27.07.2017 को थाना जैथरा पर लिया था।

13– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि कोतवाली नगर का प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। घटना के दिन वह एस 0 एस 0 आई 0 प्रभारी के पद पर था। वह स्वयं अपराध संख्या 625/2017 का वादी है तथा अ 0 सं0 624/2017 जब कायम हुआ तब वह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के पद पर नियुक्त था। अपराध संख्या 624/2017 में जब मोहित यादव का चालान जेल भेजा गया तो मोहित के शरीर पर कई चोटें पायी गयी थी। इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं है। अ 0 सं0–624/2017 में सक्षम न्यायालय में अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य होने का बाद भी अभियुक्त मोहित यादव व कृष्णा उर्फ कान्हा दोषमुक्त हो चुके हैं, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्नः क्या अ 0 सं0 624/2017 व 625/2017 दर्ज होने के उपरान्त, तत्कालीन एस 0 एस 0 पी0 ने आपके पास लम्बित समस्त विवेचनाएं अन्य विवेचक को स्थानान्तरित कर दी थी ?

उत्तरः अ 0 सं0 625/2017 में वह वादी था। नियमानुसार विवेचना अन्य थाने से करायी गयी थी। अपराध संख्या 624/2017 गम्भीर धाराओं में कायम हुआ है। प्रारम्भ में वह ही इसका विवेचक था और प्रारम्भ में ही उससे इसकी विवेचना ले

ली गयी थी। तकनीकी रूप से वह अ0सं0 624/2017 व 625/2017 में वादी व गवाह था। अभियुक्त कृष्णा उर्फ कान्हा उर्फ प्रेम सिंह का नाम कभी भी किसी अपराध में आया या नहीं, उसे कोई जानकारी नहीं है। वह कोतवाली नगर में करीब 5 माह तक तैनात रहा। अभियुक्त मोहित व कृष्णा के विरुद्ध इस मुकदमें से पहले कोई सूचना उसकी तैनाती के दौरान नहीं मिली। अभियुक्त मोहित यादव को वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। घटना के पश्चात ज्ञात हुआ था कि अभियुक्त मोहित यादव राजनैतिक परिवार से जुडा हुआ है। यह कहना सही है कि घटना के दिन मोहित यादव के ताऊ विधान परिषद उ0प्र0 के सभापति थे। उसके संज्ञान में कभी भी ये नहीं आया कि कोई विरोध हो। अ0सं0 624/2017 व 625/2017 की घटना की तारीख उसे इस समय याद नहीं है फिर कहा कि दिनांक 10.05.2017 है। यह कहना सही है कि उसके पास से विवेचना दिनांक 11.05.2017 को एस0एस0पी0 के आदेश संख्या एस०एस०पी०–सी–34/2017 के आदेश से हटायी गयी। एस0एस0पी0 का आदेश दिनांक उसे दिनांक 13.05.2017 को मिला था। एस0एस0पी0 के आदेश के उपरान्त मात्र पांच दिन बाद उसने रिपोर्ट लिखवा दी थी। क्योंकि उक्त दोनों अपराध संख्या की दूसरे थाने से चार्जशीट आ गयी थी। उसे व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है कि उक्त दोनों अपराध संख्या में संज्ञान हुआ या नहीं। सम्पूर्ण गैंगचार्ट एक ही दिन में तैयार किया गया था। उसने गैंगचार्ट डाक से भेजा था। थाने की जनरल डायरी में गैंगचार्ट का इन्द्राज है या नहीं, वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसके सामने थाने की जनरल डायरी व डाकवाही नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने एटा के राजनैतिक दबाब के कारण झूंठी रिपोर्ट लिखायी थी। यह भी कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में झूॅठा बयान दे रहा है।

14– अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0–02 एच0सी0/सी0पी0 रसाल सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.05.2017 को वह थाना कोतवाली नगर एटा पर में बतौर सी०सी० पद पर तैनात था। उस दिन उसने थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह के मौखिक बोलने पर एवं अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट आदि कागजात के आधार पर चिक एफ०आई०आर० अपराध सं०–652/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट समय 11:30 बजे पर अभियुक्तगण मोहित यादव, सोनू कुमार, कृष्णा ऊर्फ कान्हा के विरुद्ध किता की थी। चिक एफ०आई०आर० में थाना प्रभारी के मौखिक रूप से बोले गये तथ्यो को अपने निर्देशन में सी०सी० सुनील कुमार से कम्प्यूटरीकृत करायी गयी थी। चिक एफ०आई०आर० पत्रावली में उसके सामने है, जिस पर थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है व थाना की मुहर लगी हुई है, जिस पर प्रदर्श क–02 पहले से पड़ा हुआ है। उपरोक्त एफ०आई०आर० की जी०डी० में कायमी नं०–33 अंकित है, जिसकी जी०डी० पत्रावली मे कागज सं० 5अ उसके लेख में व हस्ताक्षर है, इस पर प्रदर्श क–03 डाला गया।

15– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि इस मुकदमें का गैंगचार्ट किस तारीख को तैयार हुआ। वह नहीं बता सकता कि अपराध संख्या 625/2017 का वादी मुकदमा कौन था। इस मुकदमें का गैंगचार्ट दिनांक 18.05.2017 को मिला था। उससे पहले कहा रहा उसे जानकारी नहीं है। इस चिक जुबानी किता की गयी थी। वह कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं था। थानाध्यक्ष ने तहरीर के बारे में जुबानी उसे बताया और उसने उसकी बाते सुनके कम्प्यूटर वाले को बताया। कोतवाली नगर का कार्यालय ही कम्प्यूटर रूम था। उसने थानाध्यक्ष की बाते कहीं नोट नहीं की थी।

थानाध्यक्ष उसे केवल ये बताया था कि एक गैंगस्टर चार्ट के आधार पर मुकदमा लिखा दो तो उसने लिख दिया। थानाध्यक्ष ने उससे ये कहा था कि गैंगचार्ट के आधार पर रिपोर्ट लिख दो। यह कहना गलत है कि थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर रिपोर्ट लिखायी थी। गैंगस्टर एक्ट कोई अपराध नहीं होता, इसलिए घटना का समय एवं दिनांक अंकित नहीं की।

16– अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0–03 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.06.2017 को वह थाना बागवाला पर बतौर थाना अध्यक्ष तैनात था। उस दिन अ०सं० 652/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर की विवेचना पूर्व विवेचक थानाध्यक्ष संजीव कुमार द्वारा की जा रही थी, उनका ट्रान्सफर हो जाने व उसके पहुँचने पर उसके द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी, जिसका विवरण उसके द्वारा पर्चा नं० 04 पर किया गया। दिनांक 20.06.2017 को रिमाण्ड से संबन्धित पर्चा नं०–05 उसके द्वारा किता किया गया। दिनांक 19.07.2017 को पर्चा नं० 06 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त सोनू को न्यायालय द्वारा तलब किया गया एवं अभियुक्त सोनू की जन्मतिथि की जाँच के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा आदेश किया गया। दिनांक 20.07.2017 को पर्चा नं० 07 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें अभियुक्त सोनू की मार्कशीट जाँच के संबन्ध में राम बिहारी पब्लिक स्कूल एटा से जाँच कर रिपोर्ट संलग्न की। दिनांक 24.07.2017 को पर्चा नं० 08 किता किया गया, जिसमें सोनू को किशोर न्यायालय भेजने के आदेश किया गया। दिनांक 25.07.2017 को गया, पर्चा नं० 09 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त सोनू का रिमाण्ड का विवरण अंकित किया। दिनांक 27.07.2017 को पर्चा नं 10 किता किया गया, जिसमें बयान वादी एस०एस०आई० जितेन्द्र सिंह थाना जैथरा अ०सं० 625/2017 व विवेचक एस०आई० बचान सिंह अ०सं० 652/2017 व गैंगचार्ट की नकल उसके द्वारा की गयी। दिनांक 04.08.2017 को पर्चा नं० 11 किता किया गया जिसमें एफ०आई०आर० अ०सं० 624/2017, 625/2017 के सी०सी० लखन कुमार व कां० कुलदीप कुमार व वादी मु०अ०सं० 624/17 ब्रह्मानन्द शुक्ला व गवाह कपिल देव के बयान अंकित किये। पर्चा नं० 12 दिनांक 05.08.2017 को बयान गवाह एस०आई० सत्यवीर मलिक अ०सं० 624/2017. 625/2017 एवं निरीक्षक सुम्मेर सिंह व एस०आई० बचान सिंह के बयान लिये। दिनांक 18.08.2017 को पर्चा नं0 13 किता किया, जिसमे अभियुक्त के रिमाण्ड से संबन्धित विवरण है। दिनांक 29.08.2017 को मु०अ०स० 624/2017 के गवाह संदीप चौहान एक्स–रे टेक्निशियन जिला अस्पताल एटा एवं गवाह बरामदगी ब्रह्मानन्द के ब्यान अंकित किये। दिनांक 19.09.2017 को पर्चा नं 15 एवं 25.09. 2017 पर्चा नं० 16 व 04.10.2017 पर्चा नं 17 रिमाण्ड से संबन्धित किता किया। दिनांक 05.11.2017 को पर्चा नं० 18 किता किया, जिसमे बयान गवाह कां० सुनील कुमार व बरामदगी गवाह एच०जी० रामनरेश के बयान अंकित किये गये। पर्चा संख्या 19 दिनांक 28.11.2017 को किता किया, जिसमें न्यायालय किशोर बोर्ड द्वारा अभियुक्त सोनू को अपचारी घोषित करने का विवरण किता किया। दिनांक 25.12.2017 को पर्चा संख्या 20 किता किया, जिसमें पुलिस अधिक्षक एटा द्वारा मुकदमा उपरोक्त अभियोजन स्वीकृति, मुल्जिमानों के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने हेतु स्वीकृति तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार चौरसिया द्वारा दी गयी थी, जो पत्रावली पर टाइपशुदा 7 अ संलग्न है, जिस पर अखिलेश

कुमार चौरसिया के हस्ताक्षर है, वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है, जिस पर प्रदर्श क–04 द्वारा डाला गया। पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये अभियुक्तगण मोहित यादव, कृष्णा उर्फ कान्हा व के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट आरोप पत्र संख्या–108/2018 न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो टाइपशुदा पत्रावली पर संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जो क्रमशः 3 अ/1 लगायत 3 अ/6 है, जिस पर प्रदर्श क–05 डाला गया। दिनांक 05.01.2018 को एस०सी०डी०–01 किता किया, जिसमें अभियुक्त सोनू का आरोप पत्र निरस्त कराने हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एटा को रिपोर्ट प्रेषित की गयी एवं दिनांक 07.02.2018 को एस०सी०डी०–02 जिसमें अभियुक्त सोनू आरोप पत्र निरस्त कराने हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एटा का आदेश संलग्न करते हुये अभियुक्त सोनू का आरोप पत्र नाबालिग बोर्ड प्रेषित किया गया।

17– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि जिन मुकदमों के सम्बन्ध में ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था वह दोनो मुकदमें सक्षम न्यायालय से छूटे अथवा नहीं। उसने अ 0 सं0 624/2017 की एफ०आई०आर० का अवलोकन किया था। कृष्णा उर्फ कान्हा नामजद अभियुक्त है लेकिन एफ०आई०आर० में कृष्णा पुत्र नामालूम निवासी सिंधी कालोनी अंकित था। गैंगचार्ट में कृष्णा का पता श्रंगार नगर लिखा है। उसे जानकारी नहीं है कि सिंधी कालोनी व श्रंगार नगर अलग–अलग मौहल्ले है अथवा नहीं। दौरान विवेचना कृष्णा के किसी भी पिछले अपराध की जानकारी नहीं हुई कि कृष्णा उर्फ कान्हा किसी अन्य मामले में मोहित यादव व सोनू के साथ पहले मुल्जिम नहीं था। उसे विवेचना के दौरान यह सूचना नहीं मिली कि कृष्णआ उर्फ कान्हा ने किसी से कोई आर्थिक व भौतिक लाभ लिया हो। उसे दौरान विवेचना किसी भी सम्पत्ति का पता नहीं चला जो कृष्णा उर्फ कान्हा ने अपराध कर बनायी है। उसे इस बात का भी साक्ष्य नहीं मिला कि कृष्णा उर्फ कान्हा ने कभी भी पुलिस पर कोई हमला किया है। यह बात सही है कि धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की तहरीर में यह तथ्य गलत लिखा है कि कृष्णा उर्फ कान्हा ने पुलिस पर हमला किया है। यह कहना गलत है कि उसने आला अफसरों के कहने पर गलत तरीके से झूॅठा आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह कहना सही है कि मोहित एक राजनैतिक परिवार का सदस्य है। वह उसकी जानकारी में नहीं है कि अ 0 सं0 624/2017 थाना कोतवाली नगर का मुकदमा सक्षम न्यायालय से छूट चुका है अथवा नहीं। मोहित यादव के दो मुकदमों की आपराधिक इतिहास गैंगचार्ट में दिखायी है। उसने गैंगचार्ट के अलावा मोहित यादव की किसी प्रकार की कोई आपराधिक इतिहास नहीं पायी अगर वह पाता तो उसका उल्लेख करता। मोहित यादव द्वारा किसी भी आपराधिक कृत्य से कोई सम्पत्ति या भौतिक लाभ प्राप्त करने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मोहित यादव एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है। यह कहना गलत है कि राजनैतिक दबाब से इसकी गलत विवेचना कर गलत आरोप पत्र प्रेषित किया है।

18– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–04 बृहमानन्द शुक्ला को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.05.2017 से लगातार एक्सरे विभाग में जिला अस्पताल में ड्यूटी करता चला आ रहा है। उस दिन वह ड्यूटी पर एक्सरे विभाग में मौजूद था। तभी एक्सरें अज्ञात व्यक्ति, एक्सरे कराने उसके कार्यालय आये। उसने उनसे कहा कि डॉक्टर से परामर्श ले लो। इसी बात पर वह लोग गाली गलौज करने लगे। उसने गाली देने से मना किया। उसने दरवाजा उसने बन्द कर लिया। हाजिर

अदालत मुल्जिमान मोहित यादव व कन्हैया उर्फ कृष्णा ने हम लोगों को कोई गाली गलौज नहीं की न उसकी जंजीर खींची। न उसके सामने संजीव की अंगूठी छीनी। सोनू को भी वह नहीं जानता है। भीडभाड़ बहुत इकट्ठी हो गयी थी। पुलिस आ गयी थी। उन्होंने कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। उसने मोहित यादव व कृष्णा के नाम रिपोर्ट में नहीं लिखाये थे। इस स्तर पर गवाह को अभियोजन का समर्थन न करने की वजह से पक्षद्रोही घोषित किया गया और जिरह हेतु विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर को अनुमति दी गई।

19– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसका डकैती कोर्ट में बयान हुआ। उसमें भी उसने सही बात बतायी है। कन्हैया व सोनू के विरुद्ध उसने नामजद रिपोर्ट उसे व संजीव को गाली गलौज करने के बारे में लिखायी है। यह भी कहना गलत है कि उपरोक्त लोगों ने उसके रजिस्टर फाड दिये हो, तोडफोड़ की हो। यह भी कहना गलत है कि गाली गलौज करते हुए सोने की जंजीर तोड़कर ले गये हो। उसे जानकारी नहीं है कि संजीव टैक्नीशियन की दोनो अंगूठी मुल्जिमान छीनकर ले गये है। यह कहना गलत है कि सत्यवीर मलिक के सहयोग से मोहित यादव को मौके पर पकड़ लिया हो। वह गले में अगोछा नहीं डालता है न मुल्जिमानों ने गले में फंदा डालकर जान से मारने की कोशिश की है। उसे जानकारी नहीं है कि गैंगस्टर की कार्यवाही किसने की। गवाह को बयान धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 पढ़कर सुनाया कैसे लिख दिया पता नहीं। आज वह बयान बिना किसी दबाब में अपनी स्वेच्छा से दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमानों से लोभ लालच कर वह न्यायालय में झूॅठा बयान दे रहा है।

20– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–05 संजीव कुमार को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह जिला अस्पताल एटा में लगभग 12 वर्षों से एक्सरें विभाग में टैक्नीशियन के पद पर तैनात है। दिनांक 10.05.2017 को समय 10 बजे एक्सरे विभाग में ड्यूटी पर था। उसके साथ बृहमानन्द शुक्ला ड्यूटी पर थे, तभी अज्ञात आदमी एक्सरें हेतु कार्यालय में घुस आये। पर्चा पर कोई एक्सरें नहीं लिखा था। उसने डॉक्टर से परामर्श को कहा था। इस पर वह भडक गये, गाली गलौज देने लगे। हाजिर अदालत मोहित यादव व कृष्णा उर्फ कान्हा ने उसे कोई गाली गलौज व मारपीट नहीं की थी न ही बृहमानन्द की सोने की जंजीर लूटी थी न उसकी अगूंठी छीनी थी। उसे जानकारी नहीं है कि डकैती का मुकदमा किसने लिखाया था। न उसके सामने मोहित व कृष्णा उर्फ कान्हा को गिरफ्तार किया था न अगूंठी व जंजीर उनसे बरामद की थी। इस स्तर पर गवाह को अभियोजन का समर्थन न करने की वजह से पक्षद्रोही घोषित किया गया और जिरह हेतु विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर को अनुमति दी गई।

21– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि गैंगस्टर की कार्यवाही किसने की पता नहीं। उसने दरोगाजी को कोई बयान नहीं दिया था। गवाह को धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 पढ़कर सुनाया। कैसे लिख दिया वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान का क्षेत्र में डर व आतंक है। यह कहना गलत है कि मोहित यादव व कृष्णा उर्फ कन्हैया ने हमारी अंगूठी व जंजीर छीनी है। डकैती कोर्ट में उसका बयान हुआ था। उसमें भी सही बात बतायी थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से लोभ लालच में फैसला कर लिया है। आज वह स्वेच्छा से बिना दबाब के अपना बयान दे रहा है।

22– धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

1. अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है।
2. अभियुक्त द्वारा भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।
3. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–

(i)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या

(ii)–अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन0डी0पी0एस0 एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं03 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा0दं0सं0 की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध या उसमें विध्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग की परिभाषा–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्त ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

23– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्तगण पर डकैती, पुलिस पर हमला व सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लेकर नियम विरूद्ध कार्य करने जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–01 लगायत पी0 डब्लू0–03 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–02 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

24– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण को वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले में पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए घर से पकड़ कर उनका चालान किया गया है। अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है, न ही वे किसी गैंग के सदस्य हैं, न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है, उनके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त मोहित यादव को दिनांक 10–05–2017 को गिरफ्तार किया गया और उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिस पर किसी भी चोट होने का उल्लेख नहीं है, परन्तु जब दिनांक 11–05–2017 को जेल में दाखिला किया गया तब जेल डाक्टर द्वारा उसके परीक्षण किये जाने पर उसके शरीर पर कुल 06 चोटें पायी गयीं, जो बचाव साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर दाखिल है। पुलिस के द्वारा अभियुक्त मोहित यादव को गिरफ्तार कर उसके साथ मारपीट की गयी तथा डाक्टर के उपर दबाव डालकर दिनांक 10–05–2017 को मेडीकल रिपोर्ट में चोट नहीं होना दिखवाया गया। अभियोजन साक्षी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई चल, अचल सम्पत्ति अर्जित नहीं की गयी है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

–निष्कर्ष–

25– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण मोहित यादव एवं कृष्णा उर्फ कान्हा के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही उनके विरूद्ध दर्ज अ 0 सं0–624/2017 धारा 147, 148, 332, 353, 395, 427, 307, 412, 504, 452, 477, 324 भा0 दं0 सं0 बनाम मोहित यादव एवं कृष्णा उर्फ कान्हा एवं अपराध संख्या–625/2017, धारा 332, 353, 336, 324, 427 भा0 दं0 सं0 बनाम मोहित यादव के

आधार पर की गयी थी। दौरान विचारण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अ०सं०–624/2017 से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–52/2017 में पारित निर्णय दिनांकित 20–12–2017 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 57 ब/3 लगायत 57 ब/8 दाखिल की गयी है। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को अ०सं०–624/2017 के मामले में दोषमुक्त किया जा चुका है।

26– अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए पी0 डब्लू0–01 उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह को अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और गैंगचार्ट को प्रदर्श क–01 तथा र्चिक एफ०आई०आर० प्रदश क–02 को अपने हस्ताक्षर से साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–02 में यह कथन किया है कि अ०सं०–624/2017 में जब मोहित का चालान जेल भेजा गया तो मोहित के शरीर पर कई चोटे पायी गयी थी, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं है। अ०सं०–624/2017 में सक्षम न्यायालय में अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य होने के बाद भी अभियुक्तगण मोहित यादव व कृष्णा उर्फ कान्हा दोषमुक्त हो चुके हैं, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियुकत कृष्णा उर्फ कान्हा उर्फ प्रेम सिंह का नाम कभी भी किसी अपराध में आया या नहीं, उसे कोई जानकारी नहीं है।

27– इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त साक्षी वर्तमान मामले का वादी मुकदमा है, परन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण से किस प्रकार समाज में भय या आतंक व्याप्त था तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है।

28– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में एच 0 सी0/सी०पी० रसाल सिंह को पी0 डब्लू0–02 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा गैंगचार्ट के आधार पर चिक एफ 0 आई 0 आर 0 अ 0 सं0–652/2017 को पूर्व प्रदर्श क–02 व जी०डी० रपट नं०–33 को प्रदर्श क–03 के रूप में स्वयं के लेख व हस्ताक्षर से साबित किया गया है।

29– अभियेाजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में मामले के समर्थन में सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह पी0 डब्लू0–03 को परीक्षित कराया गया है, जो कि वर्तमान प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–04 को तत्कालीन एस०एस०पी० अखलेश कुमार द्वारा देना बताते हुए उनके हस्ताक्षर से साबित किया है तथा आरोप पत्र को अपने हस्ताक्षर से प्रदर्श–05 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक–03 व 04 में कथन किया है कि उसने अ०सं०–624/2017 की एफ०आई०आर० का अवलोकन किया था। कृष्णा उर्फ कान्हा नामजद अभियुक्त है, लेकिन एफ०आई०आर० में कृष्णा पुत्र नामालुम, निवासी–सिंधी कालोनी अंकित था। गैंगचार्ट में कृष्णा का पता श्रृंगार नगर लिखा है। उसे जानकारी नहीं है कि सिंधी कालोनी व श्रृंगार नगर अलग–अलग मोहल्ले हैं, अथवा नहीं। दौरान विवेचना कृष्णा

के किसी भी पिछले अपराध की जानकारी नहीं हुई। कृष्णा उर्फ कान्हा किसी अन्य मामले में मोहित यादव व सोनू के साथ पहले मुल्जिम नहीं था। उसे विवेचना के दौरान यह सूचना नहीं मिली कि कृष्णा उर्फ कान्हा ने किसी से कोई आर्थिक व भौतिक लाभ लिया है। उसे दौरान विवेचना किसी भी सम्पत्ति का पता नहीं चला, जो कृष्णा उर्फ कान्हा ने अपराध कर बनायी है। उसे इस बात की भी साक्ष्य नहीं मिली कि कृष्णा उर्फ कान्हा ने कभी भी पुलिस पर कोई हमला किया है। यह बात सही है कि 2/3 गैंगस्टर एक्ट की तहरीर में यह तथ्य गलत लिखा है कि कृष्णा उर्फ कान्हा ने पुलिस पर हमला किया है। मोहित यादव के 02 मुकदमों की अपराधिक इतिहास गैंगचार्ट में दिखायी है। उसने गैंगचार्ट के अलावा मोहित यादव की किसी प्रकार की कोई अपराधिक इतिहास नहीं पायी, अगर वह पाता तो उसका उल्लेख करता। मोहित यादव द्वारा किसी भी अपराधिक कृत्य से कोई सम्पत्ति या भौतिक लाभ प्राप्त करने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मोहित यादव एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है।

30– इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलित करने की ना तो चेष्टा की गयी और ना ही ऐसा करने में वे सफल रहे है। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या–क्या आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किये गये तथा किस प्रकार से समाज में उनका डर व आतंक व्याप्त था। उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन के मामले को पूर्णतः खण्डित करती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराने का आधार पर्याप्त नहीं है।

31– प्रकरण में अभियोजन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी0 डब्लू0–04 बृहमानन्द शुक्ला को परीक्षित कराया गया है, जो गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में वर्णित मु0 अ 0 सं0–624/2017 का वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्टतः कथन किया है कि दिनांक 10.05.2017 से लगातार एक्सरे विभाग में जिला अस्पताल में ड्यूटी करता चला आ रहा है। उस दिन वह ड्यूटी पर एक्सरे विभाग में मौजूद था। तभी एक्सरें अज्ञात व्यक्ति, एक्सरे कराने उसके कार्यालय आये। उसने उनसे कहा कि डॉक्टर से परामर्श ले लो। इसी बात पर वह लोग गाली गलौज करने लगे। उसने गाली देने से मना किया। उसने दरवाजा उसने बन्द कर लिया। हाजिर अदालत मुल्जिमान मोहित यादव व कन्हैया उर्फ कृष्णा ने हम लोगों को कोई गाली गलौज नहीं की न उसकी जंजीर खींची। न उसके सामने संजीव की अंगूठी छीनी। सोनू को भी वह नहीं जानता है। भीडभाड़ बहुत इकट्ठी हो गयी थी। पुलिस आ गयी थी। उन्होने कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। उसने मोहित यादव व कृष्णा के नाम रिपोर्ट में नहीं लिखाये थे। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये, परन्तु उक्त साक्षी के द्वारा किसी भी प्रकार से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया। उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य को स्पष्टतः इनकार किया है।

32– प्रकरण में अभियोजन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी0 डब्लू0–05 संजीव कुमार को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्टतः कथन किया है कि वह जिला अस्पताल एटा में लगभग 12 वर्षों से एक्सरें विभाग में टैक्नीशियन के पद पर तैनात है। दिनांक 10.05.2017 को समय 10 बजे एक्सरे विभाग में ड्यूटी पर था।

उसके साथ बृहमानन्द शुक्ला ड्यूटी पर थे तभी अज्ञात आदमी एक्सरें हेतु कार्यालय में घुस आये। पर्चा पर कोई एक्सरें नहीं लिखा था। उसने डॉक्टर से परामर्श को कहा था। इस पर वह भडक गये, गाली गलौज देने लगे। हाजिर अदालत मोहित यादव व कृष्णा उर्फ कान्हा ने उसे कोई गाली गलौज व मारपीट नहीं की थी न ही बृहमानन्द की सोने की जंजीर लूटी थी न उसकी अगूंठी छीनी थी। उसे जानकारी नहीं है कि डकैती का मुकदमा किसने लिखाया था। न उसके सामने मोहित व कृष्णा उर्फ कान्हा को गिरफ्तार किया था न अगूंठी व जंजीर उनसे बरामद की थी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये, परन्तु उक्त साक्षी के द्वारा किसी भी प्रकार से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया। उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य को स्पष्टतः इनकार किया है।

33– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह (पी0 डब्लू0–03) के द्वारा अपनी जिरह के पेज क्रमांक–03 व 04 पर स्पष्टतः कथन किया गया है कि उसे विवेचना के दौरान यह सूचना नहीं मिली कि कृष्णा उर्फ कान्हा ने किसी से कोई आर्थिक व भौतिक लाभ लिया है। उसे दौरान विवेचना किसी भी सम्पत्ति का पता नहीं चला, जो कृष्णा उर्फ कान्हा ने अपराध कर बनायी है। उसे इस बात की भी साक्ष्य नहीं मिली कि कृष्णा उर्फ कान्हा ने कभी भी पुलिस पर कोई हमला किया है। मोहित यादव के 02 मुकदमों की अपराधिक इतिहास गैंगचार्ट में दिखायी है। उसने गैंगचार्ट के अलावा मोहित यादव की किसी प्रकार की कोई अपराधिक इतिहास नहीं पायी, अगर वह पाता तो उसका उल्लेख करता। **मोहित यादव द्वारा किसी भी अपराधिक कृत्य से कोई सम्पत्ति या भौतिक लाभ प्राप्त करने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।** अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह (पी0 डब्लू0–01) जिनके द्वारा वर्तमान प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 तैयार किया गया है तथा उसी के आधार पर प्रदर्श क–02 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है, उनके द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि ''अभियुक्त कृष्णा उर्फ कान्हा उर्फ प्रेम सिंह का नाम कभी भी किसी अपराध में आया या नहीं, उसे कोई जानकारी नहीं है। पत्रावली पर कोई साक्ष्य उसके द्वारा नहीं लायी गयी है कि **अभियुक्तगण का जनता में भय व आतंक है। न ही उसके द्वारा पत्रावली पर लिखित साक्ष्य दी गयी है जो धन के उपार्जन से है।**

34– अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनी लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को अकृष्ट करता है। हस्तगत मामलों में अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक **देशवीर सिंह** (पी0 डब्लू0–03) एवं अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक **जितेन्द्र सिंह** (पी0 डब्लू0–01) के न्यायालयीन कथनों से स्पष्ट है कि **अभियुक्तगण ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं की है ओर न ही भौतिक व आर्थिक रूप से सम्पत्ति कमायी गयी है।** इसी प्रकार भौतिक या दुनियाबी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस

अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही। गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में अभियुक्त कृष्णा उर्फ कान्हा के विरूद्ध मात्र एक मु०अ०सं०–624/2017 दर्शाया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–52/2017 में पारित निर्णय दिनांकित 20–12–2017 के माध्यम से अभियुक्तगण कृष्णा उर्फ कान्हा तथा मोहित यादव को दोषमुक्त किया जा चुका है, निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 56ब/3 लगायत 56ब/8 है।

35– इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में दर्शित मु0अ0सं0–624/2017 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 57ब/3 लगायत 57ब/8) में पारित निर्णय दिनांकित 20–12–2017 के माध्यम से दोषमुक्त किया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण में मुलतः इन्हीं मुकदमों के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मामले के विवेचक व वादी को अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन अर्जित करने तथा उनका समाज में भय व आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न मिला हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था अब्दुल कादिर खॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए एच सी 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए0एच0सी0 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्तगण को उन सभी मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है।

36– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त स्टेट आफ यू०पी० बनाम गंभीर सिंह (2005) 11 एस०सी०सी० 271 में यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्रावली पर अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे दो प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक अभियुक्त के पक्ष में जाता है और दूसरा अभियोजन के पक्ष में तो जो विचार अभियुक्त के पक्ष में जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

37– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में उल्लिखित मामला अ०सं०–624/2017 के प्रकरण में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है तथा अ०सं०–625/2017 का प्रकरण अभी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद

अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अभियुक्तगण मोहित यादव एवं कृष्णा उर्फ कान्हा को जी0एस0टी0 संख्या–19/2018 उ0प्र0 राज्य बनाम मोहित यादव आदि, मुकदमा अपराध संख्या–652/2017, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव0–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते न्यायालय में सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

दिनांक 09.03.2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय एवं आदेश उसके द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 09.03.2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690